

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1840(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 850(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात कैंसर सोसायटी, न्यू सिविल अस्पताल कैम्पस, असरवा, अहमदाबाद-380016 द्वारा नये सिविल हस्पताल कैम्पस, असरवा अहमदाबाद, गुजरात में कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त उपचार की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1250 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण से तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रम सं० 1 पर आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात कैंसर सोसायटी, न्यू सिविल अस्पताल कैम्पस, असरवा, अहमदाबाद-380016 द्वारा चलाई जा रही नये सिविल हस्पताल कैम्पस, असरवा अहमदाबाद, गुजरात में कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त उपचार की परियोजना या स्कीम को 611.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 307/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)